राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
क्षेत्रीय कार्यालय, रांची

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, रांची के क्षेत्रीय कार्यालय में श्री सुरेश पातर के जमीन के मुद्दे पर दिनांक 26.10.2012 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

सं0 जेएचके–2/17/2012–सामान्य

श्री सुरेश पातर (अनुसूचित जनजाति) गाँव/पोस्ट–लोहाहातु, थाना–सोनाहातु, जिला–रांची ने दिनांक 24.04.2012 के अपने अभ्यावेदन द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय को संबोधित किया कि उसी गांव के श्री कालीचरण महतो ने उनकी जमीन काटा सं0 35, प्लाट सं0 1287 क्षेत्र 31 डेसीमल पर जबरदस्ती कब्जा किया हैं। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि वे दिनांक 02.03.2012 को श्री कालीचरण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने सोनाहातू थाने गए, लेकिन प्रभारी अधिकारी, बुन्डु पुलिस थाने ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया। तब वे दिनांक 03.03.2012 को रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे और रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप पर दिनांक 15.03.2012 के मामला सं0 20/12 द्वारा सोनाहातू थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी।

2) दिनांक 16.07.2012 के पत्र सं0 जेएचके–2/17/2012–सामान्य के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय ने मामले में जांच करने एवं एक महीने के भीतर इस मामले में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट देने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रांची के साथ मामले को उठाया, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं मिला।

3) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची को दिनांक 26.10.2012 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष महोदय के साथ चर्चा के लिए आने का निवेदन किया गया।

4) अभ्यावेदक को भी जमीन पर अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजों के साथ चर्चा के दौरान उपस्थित होने के लिए सूचित किया गया था, लेकिन श्री पातर नहीं आए।

5) एसएसपी, रांची के दिनांक 20.10.2012 के पत्र सं0 4573 द्वारा एसडीपीओ, बुन्डु को भी आवश्यक सूचना के साथ बैठक में उपस्थित होने के लिए निवेदन किया गया। तथापि उनके स्थान पर श्री मिंज, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक, रांची को बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।

6) माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को सलाह दी कि शिकायतकर्ता के अनुसूचित जनजाति का होने के कारण मामले को अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 3(v) के तहत दर्ज किया जाना चाहिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रांची ने दिनांक 30.10.2012 के पत्र सं0 4644 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है

Rameshwar Oraon

डा. रामेश्वर उरां... ...R ORAON
अध्...
राष्ट्रीय अनुसू... ...योग
National Commissio... ...ed Tribes
भारत सरकार/ ...dia
नई दि... ...hi

कि मामले में जांच पूरी कर दी गयी है और आरोप सही पाया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

7) ग्रामीण पुलिस अधीक्षक, रांची को 2 महीनों के भीतर मामले में की गयी कार्रवाई/अनुपालन रिपोर्ट अध्यक्ष को प्रस्तुत करने का निवेदन किया गया।

8) वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची/ग्रामीण पुलिस अधीक्षक, रांची यह भी प्रतिवेदित करेगें कि जिस थाना प्रभारी ने कांड दर्ज करने से इन्कार किया था, उसके विरूद्ध क्या कार्रवाई हुई है।

Rameshwar Oraon

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi